

WEST CENTRAL RAILWAY

SPECIAL RECRUITMENT DRIVE AGAINST PHYSICALLY HANDICAPPED QUOTA

Website : “www.wcr.indianrailways.gov.in”

EMPLOYMENT NOTICE NO. SRDPH-01/2012

Date of Publication : 14/07/2012

Closing Date : 14/08/2012 Time: 18.00 hrs.

For residence of Andaman, Nicobar & Lakshadweep : 21/08/2012 Time: 18.00 hrs

Date of examination: **23.09.2012**

Place of examination: **Jabalpur**

- 1.1 Applications in prescribed format are invited from Physically Handicapped (Only ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED, VISUALLY HANDICAPPED & HEARING HANDICAPPED) citizens of India and from other persons declared eligible by ministry of Home Affairs, Govt. Of India for filling up posts in Group C (Physically Handicapped Quota only) in West Central Railway.
- 1.2 The applications may be sent by ordinary posts addressed to the Deputy Chief Personnel Officer (Gazetted), SRD-PH Cell, Personnel Department, General Managers’s Office, West Central Railway, Jabalpur - 482 001, in the format given in this Employment Notice for recruitment in the following Group ‘C’ categories on or before the closing date and time indicated above.
- 1.3 Applications received after closing date and time will not be entertained.
- 1.4 The envelope containing the application should be superscribed “Application: Physically Handicapped Quota (OH/ VH/ HH),”.
- 1.5 A candidate should submit only one application form. Candidate submitting more than one application form will not be considered and even if such a candidate gets selected inadvertently, he/she will not be offered appointment. West Central Railway Administration reserves the right to allot the successful candidates any of the post/places in West Central Railway.
- 1.6 No request for change of date, time or center of examination will be entertained on any account.
- 1.7 Candidates trying to use unfair means or influence would be disqualified
- 1.8 Selected candidate are likely to be posted anywhere on WCR after successful completion of training wherever prescribed.
- 1.9 Candidate should send his/her application sufficiently in advance before the closing date to SRD-PH Cell/WCR. SRD-PH Cell/WCR will not be responsible for any postal delay/wrong delivery whatsoever, at any stage of the selection process.

1.10 **NAME AND NUMBER OF POSTS TO BE RECRUITED:**

Cat No	Name of the Post	Pay Band & Grade Pay	No. of Posts			Total
			OH	VH	HH	
1.	JE-II (C&W)	Rs.9300-34800 + GP 4200	2	-	-	2
2.	JE-II (P Way)	Rs.9300-34800 + GP 4200	1	-	1	2
3.	JE-II (Works)	Rs.9300-34800 + GP 4200	1	-	1	2
4.	JE-II (Mechanical)	Rs.9300-34800 + GP 4200	1	-	-	1
5.	JE-II(Mechanical) Engine Wing	Rs.9300-34800 + GP 4200	2	-	-	2
6.	JE-II (S&T)	Rs.9300-34800 + GP 4200	1	-	-	1
7.	JE-II (Drawing)	Rs.9300-34800 + GP 4200	-	-	1	1
8.	Tech-III (C&W)	Rs.5200-20200 +	-	1	1	2

		GP 1900				
9.	Tech-III (TCM)	Rs.5200-20200 + GP 1900	1	-	-	1
10.	Tech-III(W/M)(OSM)	Rs.5200-20200 + GP 1900	-	-	1	1
11.	Tech-III(Engine/M) R&M(D)	Rs.5200-20200 + GP 1900	3	4	2	9
12.	Tech-III(TNC/E) R&M(D)	Rs.5200-20200 + GP 1900	-	-	1	1
13.	Tech-III (TRS)	Rs.5200-20200 + GP 1900	2	2	2	6
14.	Tech-III (Engg)	Rs.5200-20200 + GP 1900	2	-	1	3
15.	Tech-III (Fitter)	Rs.5200-20200 + GP 1900	1	2	-	3
16.	Tech-III (Welder)	Rs.5200-20200 + GP 1900	1	-	3	4
17.	Tech-III (Painter)	Rs.5200-20200 + GP 1900	-	1	5	6
18.	Tech-III (Coach Repair)	Rs.5200-20200 + GP 1900	1	-	-	1
19.	Tech-III (ETL)	Rs.5200-20200 + GP 1900	-	1	-	1
20.	Tech-III (Carpenter) (Engg/C&W)	Rs.5200-20200 + GP 1900	-	-	3	3
21.	Tech-III (Mason) (Engg)	Rs.5200-20200 + GP 1900	1	-	1	2
22.	Tech-III(TRS)	Rs.5200-20200 + GP 1900	1	-	-	1
23.	Tech-III (Machine man)	Rs.5200-20200 + GP 1900	-	-	1	1
24.	Tech-III (Diesel)	Rs.5200-20200 + GP 1900	-	-	1	1
25.	Signal Maintainer - III	Rs.5200-20200 + GP 1900	1	-	-	1
26.	Traffic Apprentice	Rs.9300-34800 + GP 4200	1	-	-	1
27.	Pro ASM	Rs.5200-20200 + GP 2800	1	-	1	2
28.	Goods Guard	Rs.5200-20200 + GP 2800	4	-	2	6
29.	Sr. Clerk cum Typist	Rs.5200-20200 + GP 2800	2	1	3	6
30.	Jr. Account Assistant	Rs.5200-20200 + GP 2800	-	-	1	1
31.	Pharmacist	Rs.5200-20200 + GP 2800	1	-	-	1
32.	Stenographer (Hindi)	Rs.5200-20200 + GP 2400	2	-	1	3
33.	Commercial Clerk	Rs.5200-20200 + GP 2000	1	-	1	2
34.	Jr. Clerk cum Typist	Rs.5200-20200 + GP 1900	5	10	3	18
35.	Ticket Collector	Rs.5200-20200 + GP 1900	4	5	4	13
36.	Jr Telephone Operator	Rs.5200-20200 +	-	1	-	1

		GP 1900				
37.	Dresser	Rs.5200-20200 + GP 1900	-	-	1	1
	Total		43	28	42	113

Note: The number of vacancies shown is provisional and is liable to be increased or decreased or even made nil. No consequential damages/loss will be made to the applicants on this account.

2. TERMS AND CONDITIONS FOR RECRUITMENT

2.1 Eligibility conditions for recruitment:

Cat. No.	Name of the posts	Educational qualification	Age(as on 1.7.2012)	Medical Standard
1.	JE-II (C&W)	Diploma in Manufacturing / Mechatronics/Industrial/ Mechanical/ Tools & Machining/ Tools & Die Making/ Automobile/ Production/ Metallurgy/Foundry Technology / Electronics / Electrical Engineering.	18-43	B-1
2.	JE-II (P Way)	Diploma in Civil Engineering/ Civil Engineering (Transportation).	18-43	A-3
3.	JE- II (Works)	Diploma in Civil Engineering/ Civil Engineering (Construction Technology)/Civil Engineering (Public Health)/ Civil Engineering (Water resources)/ Civil Engineering (Transportation).	18-43	B-1
4.	JE-II (Mechanical)	Diploma in Manufacturing / Mechatronics/Industrial/ Mechanical/ Tools & Machining/ Tools & Die Making/ Automobile/ Production/ Metallurgy/Foundry Technology / Electronics / Electrical Engineering.	18 to 43	A-3
5.	JE-II (Mechanical) Engine Wing	Diploma in Manufacturing / Mechatronics/ Industrial/ Mechanical/ Tools & Machining/ Tools & Die Making/ Automobile/Production/ Metallurgy/ Foundry Technology / Electronics / Electrical Engineering.	18 to 43	A-3
6.	JE (S&T)	03 (Three) year Diploma in Engineering in Electrical, Electronics, Microprocessor, T.V. Engineering, Fiber Optical Communication, Tele Communication, Sound & TV Engineering, Industrial Control, Electronic Instrumentation, Industrial Electronics, Applied Electronics, Digital Electronics, Power Electronics, Information Science/Technology, Computer Application, Computer Engineering, Computer Science and Computer Technology.	18 to 43	A-3
7.	JE-II (Drawing) Engineering	Diploma in Civil Engineering.	18 to 43	C-1
8.	Tech-III (C&W)	Matriculation or its equivalent with Course Completed Act Apprentice Act 1961/ITI in Fitter trade.	18 to 40	B-1

9.	Tech-III(TCM)	Matriculation or its equivalent with Course Completed Act Apprentice Act 1961/ITI in Electrical/Radio/Wireless/ Telecommunication/TV trade.	18 to 40	B-1
10.	Tech-III (W/M)(OSM)	Matriculation or its equivalent with Course Completed Act Apprentice Act 1961/ITI in Electrical trade.	18 to 40	B-1
11.	Tech-III (Engine/M) R&M(D)	Matriculation or its equivalent with Course Completed Act Apprentice Act 1961/ITI in Diesel Trade.	18 to 40	B-1
12.	Tech-III (TNC/E) R&M(D)	Matriculation or its equivalent with Course Completed Act Apprentice Act 1961/ITI in Electrical trade.	18 to 40	B-1
13.	Tech-III (TRS)	Matriculation or its equivalent with Course Completed Act Apprentice Act 1961/ITI in Electrical trade.	18 to 40	B-1
14.	Tech-III (Engg)	Matriculation or its equivalent with Course Completed Act Apprentice Act 1961/ITI in Fitter trade.	18 to 40	B-1
15.	Tech-III (Fitter)	Matriculation or its equivalent with Course Completed Act Apprentice Act 1961/ITI in Fitter trade.	18 to 40	B-1
16.	Tech-III (Welder)	Matriculation or its equivalent with Course Completed Act Apprentice Act 1961/ITI in Welder trade.	18 to 40	B-1
17.	Tech-III (Painter)	Matriculation or its equivalent with Course Completed Act Apprentice Act 1961/ITI in Painter trade.	18 to 40	B-1
18.	Tech-III (Coach Repair)	Matriculation or its equivalent with Course Completed Act Apprentice Act 1961/ITI in Fitter trade.	18 to 40	C-1
19.	Tech-III (ETL)	Matriculation or its equivalent with Course Completed Act Apprentice Act 1961/ITI in Electrical trade.	18 to 40	B-1
20.	Tech-III (Carpenter) (Engg/C&W)	Matriculation or its with Course Completed Act Apprentice Act 1961/ITI in Carpenter trade.	18 to 40	B-1
21.	Tech-III (Mason) (Engg)	Matriculation or its equivalent with Course Completed Act Apprentice Act 1961/ITI in Mason trade.	18 to 40	B-1
22.	Tech-III (TRS)	Matriculation or its equivalent with Course Completed Act Apprentice Act 1961/ITI in Electrical trade.	18 to 40	B-1
23.	Tech-III (Machineman)	Matriculation or its equivalent with Course Completed Act Apprentice Act 1961/ITI in Machineman trade.	18 to 40	B-1
24.	Tech-III (Diesel)	Matriculation or its equivalent with Course Completed Act Apprentice Act 1961/ITI in Diesel trade.	18 to 40	B-1
25.	Signal Maintainer III	Matriculation or its equivalent and ITI certificate in Electrician/Electrical Fitter/Wireman trade.	18 to 40	B-1
26.	Traffic App.	A University degree or its equivalent. Diploma in Rail Transport & Management from the Institute of Rail Transport will be an additional desirable qualification	18 to 43	A-2

27.	Pro ASM	Graduate from recognized University. Diploma in Railway Transport & Management from Institute of Rail Transport will be an additional desirable Qualification.	18 to 43	A-2
28.	Goods Guard	Graduate from recognized University or its equivalent.	18 to 43	A-2
29.	Sr. Clerk	Graduate from recognized University or its equivalent. Typing proficiency @30 wpm in English or @25 wpm in Hindi.	18 to 43	C-1
30.	Junior Account Assistant	Graduate from recognized University or its equivalent preference being given to person with I & II Divisions – Honours and Master Degree. Typing proficiency @30 wpm in English or @25 wpm in Hindi.	18 to 43	C-1
31.	Pharmacist	10+2 in Science or equivalent with Diploma in Pharmacy and registration with Indian Pharmacy Council or State Pharmacy Council (enclose certificate).	20 to 40	C-2
32.	Stenographer (Hindi)	Matriculation or equivalent plus Shorthand in Hindi (80 words per minutes) for a duration time of 10 Minutes and transcription time of 75 Minutes.	18 to 40	C-1
33.	Commercial Clerk	Matriculation or its equivalent with minimum 50% marks (excluding SC/ST). Condition of 50% in Matric or equivalent can be relaxed for those having higher education than Matric.	18 to 40	C-1
34.	Jr. Clerk	Matriculation or its equivalent. With minimum 50% marks (excluding SC/ST). Typing proficiency @30 wpm in English or @25 wpm in Hindi.	18 to 40	C-1
35.	Ticket Collector	Matriculation or its equivalent with minimum 50% marks (excluding SC/ST). Condition of 50% in Matric or equivalent can be relaxed for those having higher education than Matric.	18 to 40	B-2
36.	Jr Telephone Operator	Matriculation or its equivalent with minimum 50% marks (excluding SC/ST). Condition of 50% in Matric or equivalent can be relaxed for those having higher education than Matric.	18 to 40	C-1
37.	Dresser	Matriculation or its equivalent with minimum 50% marks (excluding SC/ST). Condition of 50% in Matric or equivalent can be relaxed for those having higher education than Matric.	18 to 40	C-1

Note : Relaxation in upper age limit is given to OBC candidates by 3 years; to SC/ST candidates by 5 years; and for residents of State of Jammu and Kashmir by 2 years.

3. GENERAL INSTRUCTIONS :

- (i) Before applying for any post, the candidates should ensure that he/she fulfills all the eligibility norms. The candidates should have the requisite Educational/Technical qualification from the recognized University/institution as on the closing date of submission of the application. Those awaiting results of the final exams need not apply.
- (ii) The candidates who have been debarred for life from all RRB/RRC examinations or the candidates who have been debarred for a specified period which is not yet completed, need not apply in response to this employment notice. Their candidature will be rejected during any stage of recruitment as and when detected.
- (iii) Application should be filled by the candidates either in Hindi or English in his/her own handwriting and must sign as well as put his/her Thumb impression at the prescribed space. The signature must be in running hand and not in block capital or disjoined letters. The signatures in the application form, information sheet, Answer sheet, Question Booklet and at the time of document verification should be identical.
- (iv) Candidates should note that the Date of Birth as recorded in the Matriculation /High School Examination Certificate or an equivalent certificate as on the date of submission of the applications will only be accepted.
- (v) Dates of the Written examination and results will be published in the Employment News/Rojgar samachar and local Dailies newspapers. They will also be displayed on the web site of West Central Railway “www.wcr.indianrailways.gov.in”. Call letters for the written examination will be sent to the candidates by posts. The list of eligible and ineligible candidates will be posted in the web site at least one week prior to the written examination. West Central Railway will not be responsible for any Postal delay/wrong delivery of call letters/rejection letters. West Central Railway is not bound to intimate candidates who are not selected in the written examination or any other test.
- (vi) Selected candidates will require to under-go training where ever prescribed for the posts.
- (vii) Emoluments on initial appointment will be minimum pay of the pay band plus Grade Pay plus other allowances admissible at the relevant time. During the training period only stipend will be paid as applicable as per rules. Candidates may have to give security deposit and execute indemnity Bond where ever necessary.
- (viii) Persons with Disability are exempted from paying any Examination Fees.
- (ix) Candidates belonging to SC/ST/OBC Community should submit their Caste Certificate in the prescribed format as per Annexure ‘A’ & ‘B’, applicable under Government of India rules issued by any of the following authorities :-

Collector/Dy. Collector, Tahsildar/Executive Magistrate, District Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/Additional District Magistrate/Sub/Divisional Magistrate, Taluka Magistrate/Stipendiary Assistant Commissioner (Not below the Rank of First Class Magistrate) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Magistrate/Presidency Magistrate/Sub-Divisional Officer of the area where the candidate or his family resides.

- (x) Physically Handicapped Certificate issued by Medical Board attached to the Special Employment Exchange or Vocational Rehabilitation Centre or by Civil Surgeon where such Board does not exist should be enclosed in the prescribed proforma as per Annexure ‘C’.

- (xi) Visually handicapped candidates / those candidates whose writing speed is affected by Cerebral Palsy can avail the assistance of SCRIBE for writing answers on their behalf. For engaging the SCRIBE, the candidate will have to suitably inform the SRD-PH CELL, West Central Railway, Jabalpur in advance as per Annexure- 'D'. The engagement of SCRIBE will be subject to the following conditions:
- a) The candidates will have to arrange their own SCRIBES at their own cost during the examination. Separate Admit Cards will be issue to the SCRIBE accompanying the Visually Handicapped candidates. Admit cards should contain the particulars and Photograph of the SCRIBE duly signed by him/her.
 - b) The academic qualification of the SCRIBE should be one grade below the qualification prescribed for the post for which recruitment is being made.
 - c) The SCRIBE can be of any academic discipline if the recruitment is for general post. If the recruitment is for a specialized post, he/she should be from a discipline different from that of a candidate. The Visually handicapped candidate shall be responsible for any misconduct on the part of the SCRIBE brought by him/her. The undertaking, as given in Annexure 'D' should be submitted by the Visually handicapped candidates/whose writing speed is effected by Cerebral Palsy, along with his/her application.
 - d) The candidates as well as the SCRIBE will have to give a suitable undertaking (Annexure – 'D') along with the application confirming that the SCRIBE fulfils all the stipulated eligibility criteria for a SCRIBE as mentioned above. In case it transpires later that he/she did not fulfil any of the laid down eligibility criteria or there has been suppression of material facts, the candidature of the applicant will stand cancelled irrespective of the result of examination.
 - e) Candidates availing the assistance of a Scribe shall be eligible for extra time of 20 minutes for every hour of examination.
 - f) The SCRIBE will read out the questions to the candidates and on the candidate stating clearly answer against each question, the scribe will write/indicate the same. An invigilator shall exclusively be posted with every VH candidate who have opted to avail the assistance of a scribe. The invigilator shall sit along side the scribe who will sit opposite the VH candidate so that conversation between the scribe and VH candidate could be overheard by the invigilator who shall ensure that only the answers spelt out by the candidate are written/indicated by the scribe on the answer book.
 - g) The scribe will not make any gesture, sound or any other forms of communication designed to indicate to the candidate the correctness or otherwise of an answer being recorded by him. Any such attempt would entail disqualification of candidate stringent action will be taken against both the candidate and the scribe.
 - h) Conversation between the candidate and the scribe should not disturb in any way the peace in the examination hall or the other candidates seated in the examination hall/room.
 - i) The VH candidates may be allowed to use TAILOR FRAME AND BRAIL SLATE WITH PAPER for solving arithmetic problems and they will have to bring their own TAILOR FRAME AND BRAIL SLATE WITH PAPER in the examination hall. Partially blind candidates who are able to read normal question paper set for all the candidates and to write/indicate the answer with the help of Magnifying Glass may be

allowed to use Magnifying Glass in the examination hall but they shall not be allowed the help of a scribe. Such candidates may bring their own Magnifying Glass in the examination hall. However, they shall not be provided with the question paper meant for VH candidates who require the assistance of a scribe.

4. (a) Candidate should note that wherever it is mentioned to submit separate application, they should send separate application & all other necessary enclosures in separate envelopes.
- (b) Wherever it is prescribed to submit single application for more than one category, candidate can apply for more than one post in a single application & their order of preference of post can be mentioned in the application.
- (c) Candidate should, however, note that West Central Railway may hold Written examination for the posts notified in the notification simultaneously on the same day. Candidate are advised to apply accordingly.

5. **Definition of categories of the Handicapped** : Definitions of the categories of disabilities for the purpose of reservation in the employment are as under:-

i) **Orthopaedically Handicapped (OH)** –

- a) Locomotor Disability means disability of the bones, joints or muscles leading to substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy.
- b) Cerebral Palsy means a group of non-progressive conditions of a person characterized by abnormal motor control posture resulting from brain insult or injuries occurring in the pre-natal, peri-natal or infant period of development.
- c) All the cases of orthopaedically handicapped persons would be covered under the category of “Locomotor disability or cerebral palsy.” (Please enclose the attested copies of Certificates).

ii) **Hearing Handicapped (HH)** : “Hearing impairment” means loss of sixty decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies.

(Please enclose attested copy of the Certificate of audiogram of institute and registered medical authority in this regard).

(iii) **Visually Handicapped (VH)** :

- a) Blindness refers to a condition where a person suffers from any of the following conditions viz:-
- 1) Total absence of sight; or
 - 2) Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (snellen) in the better eye with correcting lenses; or
 - 3) Limitation of the field of vision subtending at an angle of 20 degrees or worse.
- b) Low vision: “Persons with low vision” means a person with impairment of visual functioning even after treatment or standard refractive correction but who uses or is potentially capable of using vision for the planning or execution of a task with appropriate assistive device.
(Please enclose the attested copies of Certificates).

5.1 **Degree of disability for reservation**: Only such persons would be eligible for reservation in services/posts who suffer from not less than 40% of relevant disability.

6. **Mode of Recruitment** :

For Posts at Serial No 1 to 26, 28, 31, 33 & 35 to 37	Written Exam followed by Document verification
For Posts at Serial No 27	Written Exam & Aptitude test followed by Document verification
For Posts at Serial No 29,30 & 34	Written Exam & Typing test followed by Document verification
For Posts at Serial No 32	Written Exam & Speed test followed by Document verification

7. **Other Conditions** :

a) Candidates will be subjected to usual medical examination by Railway medical authority prior to their appointment after due selection.

b) Candidates, if selected for any category for which pre-recruitment training is required, will have to undergo the prescribed training as per the rules in vogue.

8. **Who can apply** :

Cat No	Name of the Post	Categories of disabled who could apply for the jobs	Cat No	Name of the Post	Categories of disabled who could apply for the jobs
1.	JE-II (C&W)	OH (OA, OL)	20.	Tech-III (Carpenter) (Engg/C&W)	HH(D, PD)
2.	JE-II (P. Way)	OH (OA, OL) HH	21.	Tech-III (Mason)(Engg)	OH (OL) HH
3.	JE (Works)	OH (OA, OL) HH	22.	Tech-III (TRS)	OH (OL)
4.	JE-II (Mechanical)	OH (OA, OL)	23.	Tech-III (Machine man)	HH
5.	JE-II (Mechanical) Engine Wing	OH (OA, OL)	24.	Tech-III (Diesel)	HH
6.	JE (S&T)	OH (OL)	25.	Signal Maintainer	OH (OL)
7.	JE (Drawing)	HH	26.	Traffic Apprentice	OH (OA,OL)
8.	Tech-III (C&W)	VH (LV) HH	27.	Pro ASM	OH (OL, MW), HH
9.	TCM-III	OH (OL)	28.	Goods Guard	OH (OA), HH
10.	Tech-III (W/M)(OSM)	HH	29.	Sr. Clerk cum Typist	VH (B, LV), OH(OA, OL, OAL, BL) & HH
11.	Tech-III (Mech) R&M(D)	OH (OL)VH(LV) HH	30.	Jr. Account Assistant	HH (D, PD)
12.	Tech-III (TNC) R&M(D)	HH	31.	Pharmacist	OH (OL, BL)
13.	Tech-III (TRS)	OH (OL)VH(LV)	32.	Stenographer	OH (OA, OL,

		HH			BL, OAL), HH
14.	Tech-III (Engg)	OH (OL) HH	33.	Commercial Clerk	HH, OH (OA, OL, BL)
15.	Tech-III (Fitter)	OH (OL) VH (LV)	34.	Jr. Clerk cum Typist	OH(OL,OA,BL) VH(PB), HH(D, PD)
16.	Tech-III (Welder)	OH (OL) HH	35.	Ticket Collector	OH (OA, OL, MW), HH, VH(LV)
17.	Tech-III (Painter)	VH (LV) HH(D, PD)	36.	Jr Telephone Operator	VH (LV)
18.	Tech-III (Coach Repair)	OH (OL)	37.	Dresser	HH (PD)
19.	Tech-III (ETL)	VH (LV)			

Abbreviations used : **OH** - Orthopaedically Handicapped **OL** - One Leg **OA** - One Arm **OAL** - One Arm & One Leg **BL** - Both leg **MW** - Muscular weakness
HH - Hearing Handicapped **D**-Deaf **PD**- Partially Deaf **VH** - Visually Handicapped **LV** - Lower Vision **PB**- Partially Blind

9. **Directions to apply** :

- i) Willing eligible candidates who are having prescribed qualifications should submit their application in the enclosed format.
- ii) Candidate has to apply as under. However preference of post may be indicated in the order of Priority against Column provided in the application form.
 - a) Single application, where minimum educational qualification required is matriculate or its equivalent - (Commercial Clerk, Stenographer, Jr. Clerk cum Typist, Jr. Telephone Operator, Dresser & TC).
 - b) Single application where minimum educational qualification required is University Degree - (Jr. Account Asstt. cum Typist, Pro. ASM, Traffic Apprentice, Sr Clerk cum Typist & Goods Guard).
 - c) Single application where minimum educational qualification required is Diploma in Engineering. – JE-II(C&W), JE-II(P.Way), JE(Works), JE-II(Mechanical), JE-II(Mechanical)Engine Wing, JE(S&T), Draughtsman Engineer.
 - d) Single application where minimum educational qualification required is matriculate with Course Completed Act Apprentice Act 1961/ITI in relevant trade. (Tech III viz. Carpenter, Fitter, Welder, Mason, Electrician, etc.)
- iii) Application will be rejected if found without necessary documents/certificates.
- iv) Application forms of candidates having normal Physical fitness will not be accepted.
- v) Application form should be submitted through ordinary post or to be dropped in the box provided for this purpose in the office of Deputy Chief Personnel Officer (Gaz), Personnel Department, GM's Office, West Central Railway, Jabalpur.- 482 001 on or before 14.08.2012 (18.00 hrs.) For Andaman, Nichobar & Lakshwdeep, on or before 21.08.2012 (18.00 hrs) except on Sunday and office holidays.

- vi) Candidature of candidates who are found bringing any unfair means/influence/pressure will be summarily rejected.
- vii) Candidates have to affix a coloured recent passport size photograph duly signed and attested by a Gazetted Officer. Two Passport size photographs should also be enclosed. Name and address of the candidate should be written on the reverse of these photos.
- viii) Incomplete/defective application forms will be summarily rejected and no correspondence will be entertained in this respect.
- ix) Application forms should be filled in the prescribed format.
- x) Eligible candidate should appear in the written test, speed/typing test at his own expenses. However, Free passes will be issued to only SC/ST candidates as per rules.
- xi) Those who are employed in Central/State Government Services, should submit their application form with a “No objection certificate” from their Head of Department. Without N.O.C. the application form will be rejected.
- xii) Two self addressed envelopes (size 26x12 cm) should be enclosed. One of them should be affixed with Rupees 5/- postage stamp.
- xiii) The date of written test as notified in the advertisement is liable to be changed in case of unavoidable circumstances.
- xiv) For acceptance/rejection of application decision of SRD-PH Cell shall be final. No further correspondence and/or enquiry will be entertained in this respect.

10. **Enclosures to be attached with the application:**

- i) Attested photo copy of the Date of Birth certificate (Certificate of Secondary/Matric in which Date of Birth is mentioned).
- ii) Attested photo copies of the academic and or technical educational qualifications as per requirement.
- iii) Annexure ‘D’ where request is made for SCRIBE by Visually Handicapped candidates/those candidates whose writing speed is affected by cerebral palsy.
- iv) Attested Photo copy of the caste certificate issued by the Competent Officer as per Annexure ‘A’ & ‘B’.
- v) Attested photo copy of physical disability certificate as per Annexure ‘C’.
- vi) No Objection Certificate of the employer, if applicable.
- vii) Two self addressed envelopes with one of them having affixed Rs.5/- postage stamp.
- viii) Two recent pass port size photographs (Name and address should be written behind the photograph.)
- ix) Attested copy of the certificate of audiogram of institute & registered medical authority by HH candidates.

11. The candidate will have to make their own arrangements for their stay during the entire recruitment process.

12. The decision of West Central Railway regarding eligibility, acceptance or rejection etc. will be final and binding on the candidate and no enquiry or correspondence will be entertained.

This Railway does not take any responsibility of sending reply to the candidates not recruited or not called for written examination/certificate verification.

13. Any legal action arising out of the above will lie within the jurisdiction of Central Administrative Tribunal, Jabalpur.

14. **Application form liable to be rejected :**

- i) Incomplete, illegible or over written application form.
- ii) Unsigned and without thumb impression application form.
- iii) Application form without photograph (duly attested by a Gazetted officer.)
- iv) Without envelop and requisite photos.
- v) Without attested photo copies of Certificates.
- vi) Application forms received before the date of notification and after closing date and time.

Deputy Chief Personnel Officer (Gaz)
West Central Railway Headquarters, Jabalpur

APPLICATION FORMAT

Roll No. _____
(For Office Use Only)

Affix here your recent
Passport size Photograph
duly signed with date &
attested by Gazetted
Officer

To,
The Deputy Personnel Officer (Gaz)
General Manager's Office
West Central Railway,
Jabalpur - 482 001

1) **APPLICATION FOR CATEGORY NO. & POST:**

Indicate Options below in order of preference where single application is prescribed for more than one category (You will only be considered for the post(s) indicated below). (kindly see Item No 9 (ii) of the notification and for category No. kindly see item No. 2 of notification)

Option	Cat. No.	Post	Option	Cat. No.	Post
1			4		
2			5		
3			6		

2) **TYPE OF DISABILITY :**

Category	OH	VH	HH
Category Code	01	02	03

Write Category Code in Box

Sub : Recruitment under Physically Handicapped Quota

- 1) Full Name in CAPITAL letters :
(English/Hindi)
- 2) Name of Father/Husband
- 3) Date of Birth (Enclose Certificate)
(in figures) Days..... Month Years
(in words)
- 4) Age as on 01.07.2012 Year Months..... Days
- 5) Present Address
.....
.....
Post office Dist :
State Pin Code
- 6) Permanent Address
.....
.....
Post office Dist :
State Pin Code
Nearest Railway Station
Phone No.....(Mob.).....Land line

- 7) Nationality
- 8) Religion
- 9) Sex (male/female)
- 10) Whether SC/ST/OBC (Enclose Certificate)
- 11) Nature of deformity and percentage (Enclose Certificate)
- 12) Educational Qualification : Details of Academic & Technical Education (Enclose Certificate)

Sr. No.	Educational Qualification	School/ Board University/ Institute	Year of Passing	% age of Marks	Subjects

- 13) Marks of Identification
 - 1)
 - 2)
- 14) If employed, then indicate (Enclosures).
 - 1) Designation
 - 2) Department
 - 3) Period of Service
- 15) Details of enclosed documents (with attested Xerox copies) (kindly see Item NO. 10 of the notification)
 - 1) 2)
 - 3) 4)
 - 5) 6)
 - 7) 8)
 - 9) 10)

I, hereby declare that, I have read the advertised eligibility conditions and undertake to abide by them. As far as my knowledge and belief are concerned, all the details submitted in the application are correct and complete. I also understand that my candidature for examination and whole selection shall be deemed to be cancelled in case my details and information are found to be misleading and incorrect. Also in the event of any misstatement/discrepancy in the particulars being detected after my appointment, my services are liable to be terminated without any notice.

.....
Signature of Candidate

Thumb impression of the candidate

Place
Date

FORMAT FOR CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST

A candidate who claims to belong to one of the scheduled caste or scheduled tribe should submit in support of his/her claim a self attested copy of a certificate in the form given below from the district magistrate or the sub divisional officer or any other officer as indicated below of the district in which his/her parents (or surviving parents) ordinarily reside and who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both the parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself/ herself resides otherwise than for the purpose of his/her own education. Wherever, photograph is an integral part of certificate, the West Central Railway would accept only self attested photocopies of such certificates and not any other attested or true copy.

(Form of certificate to be produced by Scheduled Castes & Scheduled Tribe candidates applying for appointment to post under the Govt. of India)

This is to certify that Shri/Smt./Kum* Son /Daughter of Village/Town*..... in District /Division * of State/Union Territory*..... belongs to theCaste / Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste / Scheduled Tribe * as under :

- The Constitution (Scheduled Caste) Order 1950*.
- The Constitution (Scheduled Tribe) Order 1950*.
- The Constitution (Scheduled Caste) (Union Territories) Order 1951*
- The Constitution (Scheduled Tribe) (Union Territories) Order 1951*
(As amended by the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Re-organisation Act 1960, the Punjab Re-organisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, and the North Eastern Areas Re-organisation Act, 1971, and Scheduled caste & the Scheduled Tribe Order (Amendment Act, 1976).
- The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Caste Order 1956@.
- The Constitution (Andaman and Nicobar Island) Scheduled Tribe Order 1959@ as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order (Amendment Act.) 1976@
- The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.
- The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribe Order, 1962@.
- The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964@.
- The Constitution Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) Order, 1967@
- The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968@.
- The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968@.
- The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970@.
- The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978@.
- The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978@.

Shri/Smt/Kum*..... And / or his/her* family ordinarily reside(s)
in village/town* of*..... District/Division of the State/Union Territory
of

Place*.....

Signature with stamp

Date

** Designation *.....
(with seal of office) State /Union Territory

(* Please delete the words which are not applicable. @ Please quote specific Presidential Order.

Note : i) The term *Ordinarily reside(s)* used will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the peoples Act, 1950.

ii) ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit Caste Certificate ONLY from the REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

**Officers competent to issue Caste/Tribe Certificates :

**District Magistrate/ Additional Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector/ 1st Class Stipendiary Magistrate / City Magistrate / Sub Divisional Magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner. (Nor below the rank of 1st class Stipendiary Magistrate). / Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate./Revenue Officers not below the rank of Tahsildar. / Sub Divisional Officer of the area where the candidate and / or his /her family normally reside(s).

OBC CERTIFICATE FORMAT**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POST UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA.**

This is to certify that Shri/Smt/Kum* Son/Daughter* of Shri. of Village/Town District in State belongs to community which is recognised as a backward class under ;

1. Resolution No. 12011/68/93-BCC@dtd 10th September 1993, published in the Gazette of India-Extraordinary Part-I, Section 1. No. 186 dated 13th September 1993.
2. Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19th October 1994, published in the Gazette of India-Extraordinary Part-I, Section I. No. 163, dated 20th October 1994.
3. Resolution No. 12011/7/95-BCC dtd 24th May 1995, Published in the Gazette of India-Extraordinary Part-I, Section I. No. 88 dtd 25th May 1995.
4. Resolution No. 12011/44/96-BCC dtd 6th December 1996, published in the Gazette of India-Extraordinary Part-I, Section I. No. 210, dated 11th December 1996.
5. Resolution No. 12011/68/93-BCC, Published in Gazette of India – Extra Ordinary – No. 129, dated the 8th July 1997.
6. Resolution No. 12011/12/96-BCC, Published in Gazette of India – Extra Ordinary – No. 164 dtd. the 1st Sept. 1997.
7. Resolution No. 12011/99/94-BCC, Published in Gazette of India – Extra Ordinary – No. 136 dtd. the 11th Dec. 1997.
8. Resolution No. 12011/13/97-BCC, Published in Gazette of India – Extra Ordinary – No. 239 dtd. the 3rd Dec. 1997.
9. Resolution No. 12011/12/96-BCC, Published in Gazette of India – Extra Ordinary – No. 166 dtd. the 3rd August 1998.
10. Resolution No. 12011/68/93-BCC, Published in Gazette of India – Extra Ordinary – No. 171 dtd. the 6th August 1998.
11. Resolution No. 12011/68/98-BCC, Published in Gazette of India – Extra Ordinary – No. 241 dtd. the 27th Oct. 1999.
12. Resolution No. 12011/88/98-BCC, Published in Gazette of India – Extra Ordinary – No. 270 dtd. the 6th Dec. 1999.
13. Resolution No. 12011/36/99-BCC, Published in Gazette of India – Extra Ordinary – No. 71 dtd. the 4th April 2000.

Shri/Smt/Kum*..... and / or his/her family ordinarily reside(s) in the District of theState. This is also to certify that he/she does not belong to the persons / sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 (of the Scheduled to the Government of India, Department of Personnel and Training O.M. No. 36012/22/93/Estt. (SCT) dated 08.09.1993) and modified vide Government of India, Department of Personnel and Training O.M. No. 36033/3/2004/Estt.(RES). Dated 09.03.2004.

Signature of District / Magistrate / Deputy Commissioner
Etc. with stamp

Place:

Date:

(with seal of office)

*Strike out whichever is not applicable:

N.B. : (a) The term “ordinarily” used here will have the same meaning as a Section 20 of the Representation of the Peoples Act. 1950. (b) The authorities competent to issue caste. Certificates are indicated below:- (i) District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector / Deputy Commissioner /Deputy Collector/ 1st Class Stipendiary Magistrate / Sub Divisional Magistrate /Taluka Magistrate / Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st class Stipendiary Magistrate). (ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate. (iii) Revenue Officer not below the rank of Tahsildar and (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or family resides.

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (PWD)

NAME AND ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No.Date :

Paste here Recent colour photograph showing the disability (the photograph should be attested by the chair person of the Medical Board)

Signature of the candidate in the above Box below the Photograph

DISABILITY CERTIFICATE

1. This is certified that Smt/Shri/Kum..... son/daughter of Shri.....age, sex Male/Female having identification marks as below is suffering from permanent disability of following category :

- A. Locomotor or cerebral palsy: (i) BL- Both legs affected but not arms. (ii) BA- Both arms affected (a) Impaired reach (b) Weakness of grip. (iii) OL- One leg affected (right or left) (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic (iv) OA- One arm affected (right or left) (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic (v) BH- Stiff Back and hips (cannot sit or stoop) (vi) MW- Muscular Weakness and limited physical endurance. B. Blindness or Low Vision: (i) B- Blind (ii) Partially Blind (C) Hearing Impairment: (i) D- Deaf (ii) Partially Deaf. (Delete the category which is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended / is recommended after a period of year Months.

3. Percentage of disability in his / her case is Percent.

4. Smt./Shri/Kum..... meets the following physical requirement for discharge of his/her duties.

(i)	F-can perform work by manipulating with fingers	Yes	No
(ii)	PP-can perform work by pulling and pushing	Yes	No
(iii)	L-can perform work by lifting	Yes	No
(iv)	KC-can perform work by kneeling and crouching	Yes	No
(v)	B-can perform work by bending	Yes	No
(vi)	S-can perform work by sitting	Yes	No
(vii)	ST-can perform work by standing	Yes	No
(viii)	W-can perform work by walking	Yes	No
(ix)	SE-can perform work by seeing	Yes	No
(x)	H-can perform work by hearing speaking	Yes	No
(xi)	RW-can perform work by reading and writing	Yes	No

(Signature of Doctor)

Name:

Registration No.:

Member Medical Board

(Signature of Doctor)

Name:

Registration No.:

Member Medical Board

(Signature of Doctor)

Name:

Registration No.:

Member Chairperson
Medical Board

* Please delete the words which are not applicable.

Place :

Date :

Counter Signature of the Medical Superintendent/DMO/Head of Hospital (with seal)

Note : (i) According to the Person with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full participation) Rules, 1996 notified on 31.12.1996 by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 73 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), authorities to give disability Certificate will be a Medical Board duly constituted by the Central or the State Government. The State Government may constitute a Medical Board consisting of at least three members out of which at least one shall be a mental retardation and leprosy cured, as the case may be.

(ii) The certificate would be valid for a period of 5 years for those whose disability is temporary. For those who acquired permanent disability, the validity can be shown as permanent.

ANNEXURE - 'D'

DECLARATION TO BE SUBMITTED BY VISUALLY HANDICAPPED CANDIDATES / THOSE CANDIDATES WHOSE WRITING SPEED IS AFFECTED BY CEREBRAL PALSY.

PARTICULARS OF THE SCRIBE PROPOSED TO BE ENGAGED BY THE CANDIDATE.

Paste here Recent colour
Passport size photograph
of the SCRIBE of size 4 cm x 5 cm
(the colour photograph
should not be more than
3 months old)

Signature of the SCRIBE
In the above Box below the
Photograph

- 1. Name of the Candidate
- 2. Date of Birth of the Candidate
- 3. Name of the Scribe
- 4. Father's Name of the Scribe
- 5. Address of the Scribe
Permanent Address :
-
-
- Present Address :
-
-
-
- 6. Educational qualification of the scribe
-
- 7. Relationship, if any, of the scribe with the candidate

8. DECLARATION

We hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of our knowledge and belief. We have read/been read out the instructions in the Notification regarding conduct of the visually challenged candidates/scribes at this examination and hereby undertake to abide by them. We also declare that:

(a) The academic qualification of the Scribe is below the qualification prescribed for the post applied for.

*The academic discipline of the scribe is same as of the candidate since the application is for the General post/the academic discipline of the scribe is different from that of the candidate as the application is for a specialist post. (Delete the version not applicable).

*Strike out which is not applicable.

.....
(Signature of the Candidate)

.....
(Signature of the Scribe)

.....
Left Thumb impression
of the candidate.

.....
Left thumb impression
of the Scribe.

पश्चिम मध्य रेल
शारीरिक विकलांग कोटा के लिए विशेष भर्ती अभियान
वेबसाइट – “ www.wcr.indianrailways.gov.in ”

रोजगार सूचना संख्या : एसआरडीपीएच-01/2012

प्रकाशन की तिथि : 14/07/2012

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 14/08/2012 समय : 18.00 बजे

अंडमान, निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के निवासी के लिए : 21/08/2012 समय : 18.00 बजे

परीक्षा की तिथि : 23/09/2012

परीक्षा स्थल : जबलपुर

.....

- 1.1 पश्चिम मध्य रेल में ग्रुप 'सी' संवर्ग के रिक्त पदों को भरने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग (केवल अस्थि विकलांगता, दृष्टि विकलांगता तथा श्रवण विकलांगता) भारतीय नागरिक तथा ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें गृह-मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योग्य घोषित किया गया है, से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
- 1.2 आवेदन पत्र रोजगार सूचना में दिए निर्धारित प्रारूप में ऊपर दर्शायी गई अंतिम तिथि व समय से पहले **उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (राजपत्रित), एसआरडी-पीएच प्रकोष्ठ, कार्मिक विभाग, महाप्रबन्धक कार्यालय, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर-482001** को संबोधित कर भेजे जा सकते हैं।
- 1.3 अंतिम तिथि तथा समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 1.4 जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेजे उसके ऊपर “आवेदन : शारीरिक विकलांग कोटा(अ.वि./दृ.वि./श्र.वि.)” अवश्य लिखें।
- 1.5 एक उम्मीदवार द्वारा केवल एक ही आवेदन भरा जाए। एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा यदि ऐसा उम्मीदवार चयनित हो भी जाता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। पश्चिम मध्य रेल प्रशासन के पास सफल उम्मीदवारों को कोई भी पद/स्थान आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 1.6 किसी भी स्थिति में परीक्षा तिथि, समय अथवा परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 1.7 किसी भी तरह का दबाव या अनुचित तरीका अपनाए जाने का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- 1.8 चयनित उम्मीदवार के सफल प्रशिक्षण, जहां निर्धारित हो, के पश्चात पश्चिम मध्य रेल पर कहीं भी पदस्थापना की जा सकती है।
- 1.9 उम्मीदवार अपना आवेदन अंतिम तिथि से पूर्व एसआरडी-पीएच प्रकोष्ठ/ पश्चिम मध्य रेल को भेजें। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी डाक के विलंब/गलत पते पर भेजने के लिए एसआरडी-पीएच प्रकोष्ठ/ पश्चिम मध्य रेल जिम्मेदार नहीं होगा।

1.10 रिक्तियां एवं पदों का नाम जिनके लिए भर्ती की जा रही हैं।

कोटि सं.	पदनाम	पे बेन्ड एवं ग्रेड पे	पदों की संख्या			योग
			अ.वि.	दृ.वि.	श्र.वि.	
1.	जूनियर इंजीनियर- II (कै. एवं वै.)	रु 9300-34800 + ग्रेड पे 4200	2	-	-	2
2.	जूनियर इंजीनियर- II (पी. वे)	रु 9300-34800 + ग्रेड पे 4200	1	-	1	2
3.	जूनियर इंजीनियर- II (कार्य)	रु 9300-34800 + ग्रेड पे 4200	1	-	1	2
4.	जूनियर इंजीनियर- II (यॉत्रिक)	रु 9300-34800 + ग्रेड पे 4200	1	-	-	1
5.	जूनियर इंजीनियर- II (यॉत्रिक) इंजन शाखा	रु 9300-34800 + ग्रेड पे 4200	2	-	-	2
6.	जूनियर इंजीनियर- II (सिगनल एवं दूर संचार)	रु 9300-34800 + ग्रेड पे 4200	1	-	-	1
7.	जूनियर इंजीनियर (ड्राइंग)	रु 9300-34800 + ग्रेड पे 4200	-	-	1	1
8.	तकनीशियन- III (कै. एवं वै.)	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	-	1	1	2
9.	तकनीशियन- III (टीसीएम)	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	1	-	-	1
10.	तकनीशियन- III (डब्ल्यू/एम)(ओएसएम)	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	-	-	1	1
11.	तकनीशियन- III (इंजन/एम)आरएण्डएम(डी)	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	3	4	2	9
12.	तकनीशियन- III (टीएनसी/ई) आरएण्डएम(डी)	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	-	-	1	1
13.	तकनीशियन- III (टीआरएस)	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	2	2	2	6
14.	तकनीशियन- III (इंजीनियरिंग)	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	2	-	1	3
15.	तकनीशियन- III (फिटर)	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	1	2	-	3
16.	तकनीशियन- III (वैल्डर)	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	1	-	3	4

17.	तकनीशियन- III (पेन्टर)	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	-	1	5	6
18.	तकनीशियन- III (कोच रिपेयर)	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	1	-	-	1
19.	तकनीशियन- III (इलेक्ट्रिकल)	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	-	1	-	1
20.	तकनीशियन- III (कारपेंटर) (इंजी./कै. एवं वै.)	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	-	-	3	3
21.	तकनीशियन- III (राजमिस्त्री) (इंजी.)	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	1	-	1	2
22.	तकनीशियन- III (टीआरएस)	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	1	-	-	1
23.	तकनीशियन- III (मशीनमेन)	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	-	-	1	1
24.	तकनीशियन- III (डीजल)	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	-	-	1	1
25.	तकनीशियन- III (सिगनल मॅटेनर)	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	1	-	-	1
26.	यातायात प्रशिक्षु	रु 9300-34800 + ग्रेड पे 4200	1	-	-	1
27.	प्रशिक्षु सहायक स्टेशन मास्टर	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 2800	1	-	1	2
28.	गुड्स गार्ड	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 2800	4	-	2	6
29.	वरिष्ठ लिपिक सह टंकक	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 2800	2	1	3	6
30.	कनिष्ठ लेखा सहायक	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 2800	-	-	1	1
31.	फार्मासिस्ट	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 2800	1	-	-	1
32.	आशुलिपिक (हिन्दी)	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 2400	2	-	1	3
33.	वाणिज्य लिपिक	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 2000	1	-	1	2
34.	अवर लिपिक सह टंकक	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	5	10	3	18

35.	टिकट संग्राहक	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	4	5	4	13
36.	कनिष्ठ टेलीफोन ऑपरेटर	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	-	1	-	1
37.	ड्रेसर	रु 5200-20200 + ग्रेड पे 1900	-	-	1	1
योग			43	28	42	113

नोट : दर्शाई गई रिक्तियां अनंतिम है तथा इन्हे घटाया अथवा बढ़ाया अथवा शून्य किया जा सकता है।

इसके चलते उम्मीदवार को हुए किसी भी परिणामी क्षति/हानि की भरपाई नहीं की जाएगी।

2. भर्ती हेतु नियम एवं शर्तें

2.1 भर्ती हेतु पात्रता शर्तें

कोटी सं.	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता	आयु (01.07.12 को)	चिकित्सा स्तर
1.	जूनियर इंजीनियर- II (कै. एवं वै.)	मेन्यूफेक्चरिंग/मेकेट्रोनिक्स/इंडस्ट्रीयल/यॉत्रिक/टूल एवं मशीनिंग/टूल एवं डाई मेकिंग/ऑटोमोबाइल/प्रोडक्शन/मेटालर्जी/फाउन्ड्री टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	18 से 43	बी-1
2.	जूनियर इंजीनियर- II (पी. वे)	सिविल इंजीनियरिंग/सिविल इंजीनियरिंग (ट्रांसपोर्टेशन) में डिप्लोमा	18 से 43	ए-3
3.	जूनियर इंजीनियर- II (कार्य)	सिविल इंजीनियरिंग/ सिविल इंजीनियरिंग (कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी)/ सिविल इंजीनियरिंग (पब्लिक हेल्थ)/ सिविल इंजीनियरिंग (वाटर रिसोर्सज)/ सिविल इंजीनियरिंग (ट्रांसपोर्टेशन) में डिप्लोमा	18 से 43	बी-1
4.	जूनियर इंजीनियर- II (यॉत्रिक)	मेन्यूफेक्चरिंग/मेकेट्रोनिक्स/इंडस्ट्रीयल/यॉत्रिक/टूल एवं मशीनिंग/टूल एवं डाई मेकिंग/ऑटोमोबाइल/प्रोडक्शन/मेटालर्जी/फाउन्ड्री टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	18 से 43	ए-3
5.	जूनियर इंजीनियर- II (यॉत्रिक) इंजन शाखा	मेन्यूफेक्चरिंग/मेकेट्रोनिक्स/इंडस्ट्रीयल/यॉत्रिक/टूल एवं मशीनिंग/टूल एवं डाई मेकिंग/ऑटोमोबाइल/प्रोडक्शन/मेटालर्जी/फाउन्ड्री टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	18 से 43	ए-3

6.	जूनियर इंजीनियर- II (सिगनल एवं दूर संचार)	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स/ माइक्रोप्रोसेसर/टीवी इंजीनियरिंग/फाइबर ऑप्टिकल कम्यूनिकेशन/साउण्ड एवं टीवी इंजीनियरिंग/इंडस्ट्रीयल कंट्रोल/ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रुमेंटेशन/ इंडस्ट्रीयल इलेक्ट्रॉनिक्स/ एप्लायड इलेक्ट्रॉनिक्स/ डिजीटल इलेक्ट्रॉनिक्स/ पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स/इंफोर्मेशन साइंस/ टेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर साइंस एवं कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी में 3 वर्षीय डिप्लोमा	18 से 43	ए-3
7.	जूनियर इंजीनियर (ड्राइंग)	सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	18 से 43	सी-1
8.	तकनीशियन- III (कै. एवं वै.)	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष साथ में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किया हो /फिटर ट्रेड में आईटीआई	18 से 40	बी-1
9.	तकनीशियन- III (टीसीएम)	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष साथ में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किया हो /इलेक्ट्रिकल/रेडियो/वायरलेस / टेलीकम्यूनिकेशन/टीवी ट्रेड में आईटीआई	18 से 40	बी-1
10.	तकनीशियन- III (डब्ल्यू/एम)(ओएसएम)	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष साथ में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किया हो /इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई	18 से 40	बी-1
11.	तकनीशियन- III (इंजन/एम)आरएण्डएम(डी)	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष साथ में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किया हो /डीजल ट्रेड में आईटीआई	18 से 40	बी-1
12.	तकनीशियन- III (टीएनसी/ई) आरएण्डएम(डी)	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष साथ में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किया हो /इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई	18 से 40	बी-1
13.	तकनीशियन- III (टीआरएस)	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष साथ में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किया हो /इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई	18 से 40	बी-1
14.	तकनीशियन- III	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष साथ में प्रशिक्षु	18 से 40	बी-1

	(इंजीनियरिंग)	अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किया हो /फिटर ट्रेड में आईटीआई		
15.	तकनीशियन- III (फिटर)	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष साथ में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किया हो /फिटर ट्रेड में आईटीआई	18 से 40	बी-1
16.	तकनीशियन- III (वैल्डर)	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष साथ में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किया हो /वैल्डर ट्रेड में आईटीआई	18 से 40	बी-1
17.	तकनीशियन- III (पेन्टर)	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष साथ में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किया हो /पेन्टर ट्रेड में आईटीआई	18 से 40	बी-1
18.	तकनीशियन- III (कोच रिपेयर)	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष साथ में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किया हो /फिटर ट्रेड में आईटीआई	18 से 40	सी-1
19.	तकनीशियन- III (इलेक्ट्रिकल)	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष साथ में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किया हो / इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई	18 से 40	बी-1
20.	तकनीशियन- III (कारपेंटर) (इंजी./कै. एवं वै.)	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष साथ में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किया हो /कारपेंटर ट्रेड में आईटीआई	18 से 40	बी-1
21.	तकनीशियन- III (राजमिस्त्री) (इंजी.)	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष साथ में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किया हो /मेसन ट्रेड में आईटीआई	18 से 40	बी-1
22.	तकनीशियन- III (टीआरएस)	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष साथ में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किया हो / इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई	18 से 40	बी-1
23.	तकनीशियन- III (मशीनमेन)	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष साथ में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किया हो / मशीनमेन ट्रेड में आईटीआई	18 से 40	बी-1
24.	तकनीशियन- III (डीजल)	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष साथ में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किया हो / डीजल ट्रेड में आईटीआई	18 से 40	बी-1
25.	तकनीशियन- III	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष साथ में प्रशिक्षु	18 से 40	बी-1

	(सिगनल मैटेनर)	अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किया हो/ इलेक्ट्रिशियन/इलेक्ट्रिकल फिटर/वायरमैन ट्रेड में आईटीआई		
26.	यातायात प्रशिक्षु	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष। वांछनीय योग्यता – रेल परिवहन संस्थान से रेल परिवहन एवं प्रबंधन में डिप्लोमा।	18 से 43	ए-2
27.	प्रशिक्षु सहायक स्टेशन मास्टर	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष। वांछनीय योग्यता – रेल परिवहन संस्थान से रेल परिवहन एवं प्रबंधन में डिप्लोमा।	18 से 43	ए-2
28.	गुड्स गार्ड	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष।	18 से 43	ए-2
29.	वरिष्ठ लिपिक सह टंकक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष। टंकण गति – हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट/अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट	18 से 43	सी-1
30.	कनिष्ठ लेखा सहायक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष। ऑनर्स व मास्टर डिग्री में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण को वरीयता दी जाएगी। टंकण गति – हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट/अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट	18 से 43	सी-1
31.	फार्मासिस्ट	10+2 विज्ञान विषय के साथ या समकक्ष। फार्मसी में डिप्लोमा एवं भारतीय फार्मसी परिषद या राज्य फार्मसी परिषद में पंजीयन (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	20 से 40	सी-2
32.	आशुलिपिक (हिन्दी)	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष साथ में हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति। परीक्षण अवधि – 10 मिनट एवं लिपियान्तरण अवधि – 75 मिनट	18 से 40	सी-1
33.	वाणिज्य लिपिक	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों (अ.जा./अ.ज.जा. को छोड़कर) के साथ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष। उच्चतर शैक्षिक योग्यता के मामले में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ	18 से 40	सी-1

		मैट्रिकुलेशन या समकक्ष की अनिवार्यता नहीं।		
34.	अवर लिपिक-सह-टंकक	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों (अ.जा./अ.ज.जा. को छोड़कर) के साथ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष। टंकण गति – हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट/अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट।	18 से 40	सी-1
35.	टिकट संग्राहक	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों (अ.जा./अ.ज.जा. को छोड़कर) के साथ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष। उच्चतर शैक्षिक योग्यता के मामले में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष की अनिवार्यता नहीं।	18 से 40	बी-2
36.	कनिष्ठ टेलीफोन ऑपरेटर	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों (अ.जा./अ.ज.जा. को छोड़कर) के साथ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष। उच्चतर शैक्षिक योग्यता के मामले में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष की अनिवार्यता नहीं।	18 से 40	सी-1
37.	ड्रेसर	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों (अ.जा./अ.ज.जा. को छोड़कर) के साथ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष। उच्चतर शैक्षिक योग्यता के मामले में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष की अनिवार्यता नहीं।	18 से 40	सी-1

टिप्पणी : अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट, अ.जा. एवं अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों को 05 वर्ष तथा जम्मू एवं कश्मीर के निवासी को 02 वर्ष की छूट।

3. सामान्य अनुदेश :

(i) किसी भी पद के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह अर्हता पूरी करता/करती हो। उम्मीदवार के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अपेक्षित शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं होनी चाहिए। अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन नहीं करें।

(ii) सभी रे.भ.बो./रे.भ.प्र. से जीवनभर के लिए परीक्षा से वंचित उम्मीदवार या निश्चित अवधि के लिए वंचित किए गए उम्मीदवार जिनकी अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, इस रोजगार अधिसूचना के अंतर्गत आवेदन करने के अयोग्य है। जब कभी भी एवं किसी भी स्तर पर ऐसा पाए जाने पर उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।

(iii) उम्मीदवार को अपनी लिखावट में हिन्दी या अंग्रेजी में आवेदन पत्र भरना चाहिए तथा निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर के साथ-साथ अपने बाएं हाथ के अंगुठे का निशान लगाना चाहिए। हस्ताक्षर रनिंग हैंड में चाहिए तथा हस्ताक्षर बड़े अक्षरों अथवा अलग-अलग अक्षरों में नहीं होना चाहिए। दस्तावेजों के सत्यापन के समय आवेदन-पत्र, सूचना पत्र, उत्तर पत्र एवं प्रश्न पुस्तिका में हस्ताक्षर एक समान होना चाहिये।

(iv) उम्मीदवार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ मैट्रिक/हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को ही जन्म तिथि के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

(v) लिखित परीक्षा की तिथि एवं परिणाम की सूचना रोजगार समाचार एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। इन्हे पश्चिम मध्य रेल की वेबसाइट "www.wcr.indianrailways.gov.in" पर भी देखा जा सकता है। उम्मीदवारों को बुलावा पत्र डाक द्वारा भेजा जाएगा। योग्य एवं अयोग्य उम्मीदवारों की सूची लिखित परीक्षा की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। बुलावा पत्र/अस्वीकृति पत्र के डाक में विलंब या गलत डिलीवरी के लिए पश्चिम मध्य रेल जिम्मेदार नहीं होगा। पश्चिम मध्य रेल लिखित परीक्षा या अन्य किसी परीक्षा में चयन न होने की सूचना उम्मीदवारों को देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(vi) जहां कहीं भी पद के लिए प्रशिक्षण निर्धारित है वहां चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(vii) प्रारम्भिक नियुक्ति पर परिलब्धियां पे बैंड में न्यूनतम वेतन + ग्रेड पे + उस समय स्वीकार्य अन्य भत्ते होंगे। प्रशिक्षण के दौरान सिर्फ स्वीकार्य स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। जहां कहीं भी आवश्यक होगा उम्मीदवार को प्रतिभूति जमा करना होगा और क्षतिपूर्ति बंध पत्र देना होगा।

(viii) विकलांग उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करना है।

(ix) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवारों को अपना जाति प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'क' और 'ख' के निर्धारित प्रोफार्मा में जमा करना होगा। जो निम्न में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो –

कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/तहसीलदार/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/ स्टाइपेंडरी असिसटेन्ट कमिश्नर (फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से कम स्तर का नहीं हो)/चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/उस क्षेत्र का सब डिविजनल ऑफिसर जहां उम्मीदवार या उसका परिवार रहता है।

- (x) विशेष रोजगार कार्यालय या व्यवसायिक पुर्नवास केन्द्र से जुड़े चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र तथा जहां ऐसे बोर्ड नहीं है। वहां सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो कि अनुलग्नक 'ग' में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।
- (xi) दृष्टि विकलांग उम्मीदवार या ऐसे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति सेरेब्रल पाल्सी (मस्तिष्क लक्वा से ग्रस्त) से बाधित हैं, उत्तर लिखने हेतु अपने बदले में दूसरे लेखक (स्काइब) की सहायता ले सकते हैं। स्काइब की सहायता लेने के लिए, उम्मीदवार को "एसआरडी-पीएच सेल" पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर को यथा निर्धारित सूचना अग्रिम रूप से देनी होगी। स्काइब की सुविधा निम्न शर्तों पर उपलब्ध होगी :-
- (क) उम्मीदवार को स्काइब की व्यवस्था स्वयं एवं स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों के स्काइब को अलग से प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। प्रवेश पत्र में स्काइब के विवरण और उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित फोटो होना चाहिए।
- (ख) स्काइब की शैक्षणिक योग्यता अधिसूचित पद हेतु निर्धारित अर्हता से एक ग्रेड कम होना चाहिए।
- (ग) सामान्य पद के लिये स्काइब किसी भी शैक्षणिक विषय का हो सकता है। अगर भर्ती किसी विशेष पद हेतु हो तो स्काइब को उम्मीदवार से भिन्न विषय का होना चाहिए। दृष्टि विकलांग उम्मीदवार अपने द्वारा लाए गए स्काइब के दुराचरण हेतु जिम्मेदार होगा। दृष्टि विकलांग उम्मीदवार जिसकी लेखन गति सेरेबल पाल्सी से बाधित है तो उसे अपने आवेदन के साथ अनुलग्नक 'घ' में दिए गए प्रारूप में वचनबद्धता देनी होगी।
- (घ) उम्मीदवार तथा स्काइब को आवेदन के साथ उपयुक्त वचनबद्धता (अनुलग्नक 'घ') यह सुनिश्चित करते हुए देनी होगी कि स्काइब उपरोक्त निर्दिष्ट स्काइब हेतु निर्धारित सभी पात्रता शर्तें पूर्ण करता है। अगर बाद में यह पता चलता है कि वह निर्धारित किसी भी पात्रता शर्त को पूरा नहीं करता है या किसी तथ्यगत सत्यता को छिपाया है तो आवेदक की उम्मीदवारी परीक्षा परिणाम को ध्यान में रखे बिना निरस्त कर दिया जाएगा।
- (च) जो उम्मीदवार स्काइब की सहायता लेंगे वे परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट अतिरिक्त समय के लिए पात्र होंगे।
- (छ) स्काइब उम्मीदवार को प्रश्न पढ़ कर सुनाएगा तथा उम्मीदवार द्वारा साफ तौर पर बताए उत्तर को चिन्हित करेगा/लिखेगा। प्रत्येक दृष्टि विकलांग(वी.एच.) उम्मीदवार जो स्काइब की सहायता लेगा के लिए परीक्षक विशेष तौर पर नियुक्त किया जाएगा। स्काइब वी.एच उम्मीदवार के सामने बैठेगा और स्काइब के बगल में परीक्षक बैठेगा जिससे कि वह उन दोनों के मध्य हो रही बातचीत को सुन सके और यह सुनिश्चित करे कि उम्मीदवार ने जो उत्तर बोला है, स्काइब ने उत्तर पुस्तिका में वही उत्तर लिखा/चिन्हित किया है।

- (ज) स्क्राइब किसी भी प्रकार से चाहे वह इशारा हो या आवाज हो या अन्य संचार माध्यम उम्मीदवार द्वारा बताए गए उत्तर को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेगा। इस प्रकार का कोई भी कृत्य उम्मीदवार की उम्मीदवारी को अयोग्य कर देगा और उम्मीदवार एवं स्क्राइब के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- (झ) उम्मीदवार एवं स्क्राइब के बीच होने वाले वार्तालाप से परीक्षा हॉल/कमरे में मौजूद किसी भी अन्य उम्मीदवार को बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिये और न ही परीक्षा हॉल की सामान्य शांति भंग होनी चाहिये।
- (ट) दृष्टि विकलांग उम्मीदवार को अंकगणित के प्रश्न को हल करने हेतु टेलर फ्रेम एवं पेपर के साथ ब्रेल स्लेट के इस्तेमाल की अनुमति होगी जिसे उन्हें खुद लाना होगा। आंशिक रूप से दृष्टि विकलांग उम्मीदवार जो सामान्य प्रश्न पत्र को मैगनिफाइंग ग्लास के माध्यम से पढ़/हल कर सकते हैं, को परीक्षा हॉल में मैगनिफाइंग ग्लास के उपयोग की अनुमति होगी परंतु उन्हें स्क्राइब से सहायता लेने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे उम्मीदवारों को अपना मैगनिफाइंग ग्लास लाना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को वी.एच. उम्मीदवार वाले प्रश्न पत्र जिसके लिए स्क्राइब की आवश्यकता होती है उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
4. (क) उम्मीदवार यह ध्यान दें कि जहाँ कहीं भी अलग से आवेदन पत्र मंगाए गए हो वहाँ वे अलग आवेदन, सभी आवश्यक संलग्नकों के साथ अलग-अलग लिफाफे में भेजें।
- (ख) जहाँ भी यह निर्धारित है कि एक से अधिक पद हेतु आवेदन के लिए एक ही आवेदन पर्याप्त है तो उम्मीदवार एक से अधिक पद हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें पद की वरीयता आवेदन में दर्शायी जाएगी।
- (ग) उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि पश्चिम मध्य रेल अधिसूचित पदों पर चयन हेतु एक ही दिन परीक्षा आयोजित करेगा। उम्मीदवार अपना आवेदन इसे ध्यान में रख कर दें।

5. विकलांग के कोटियों की परिभाषा : रोजगार में आरक्षण के प्रयोजन से विकलांग की श्रेणियों की परिभाषायें निम्नानुसार है :-

(i) अस्थि विकलांगता (ओ.एच.)

(क) लोकोमोटर विकलांगता से तात्पर्य यह है कि अस्थि, जोड़ या मांसपेशियों की अक्षमता के कारण हाथ या पैर के संचलन में बाधा हो या किसी भी प्रकार का सेलेब्रल पाल्सी।

(ख) सेरेब्रल पाल्सी का मतलब उन नान प्रोग्रेसिव समुह की उस स्थिति से है जिसमें मस्तिष्क में जन्म पूर्व, जन्म के दौरान या शैशवास्था के विकास में मस्तिष्क चोट/आघात लगने के कारण असामान्य मोटर कंट्रोल पोस्चर उत्पन्न हो गया हो।

(ग) अस्थि विकलांगता के सभी मामले लोकोमोटर विकलांग या सेरेब्रल पाल्सी की कोटी में रखे जाएंगे। (कृपया प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति लगाएं)।

(ii) श्रव्य विकलांगता (एच.एच.). श्रव्य हानि का मतलब है कि बातचीत रेंज की आवृत्ति में बेहतर श्रवण शक्ति में 60 डेसीबल या उससे अधिक का अभाव । (कृपया आडियोग्राम संस्था के प्रमाण पत्रों एवं पंजीकृत चिकित्सा प्राधिकारी के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति लगाएं)

(iii) दृष्टि विकलांगता (वी.एच.).

(क) अंधत्व उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति निम्न में से किसी भी स्थिति से पीड़ित हो :-

(1) पूर्ण दृष्टि लोप या,

(2) करेक्टिंग लेंस से बेहतर दृष्टि में दृश्य एक्युटि 6/60 या 20/200 (स्लेनन) से ज्यादा न हो ।

(3) 20 डिग्री के दृश्य कोण या उससे भी खराब दृष्टि सब टेंडिंग के क्षेत्र की विजन की सीमा ।

(ख) कम दृष्टि. "कम दृष्टि वाले व्यक्ति" का आशय उन व्यक्तियों से है जिसे इलाज या स्टैंडर्ड रिफरेक्टिव करेक्शन के बाद भी दृश्य कार्य प्रणाली में विकृति हो लेकिन जो उचित सहायक डिवाइस कार्य करने के लिए प्रयोग करता है या योजना बनाने के लिए विजन इस्तेमाल करने की संभावना है ।(कृपया प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति लगाएं) ।

5.1 आरक्षण हेतु विकलांगता की डिग्री : विकलांग कोटे के अन्तर्गत सेवा/पद के लिए आरक्षण के हकदार केवल वे ही व्यक्ति होंगे जिनकी संबंधित अंग की विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो ।

6. भर्ती का तरीका :

क्रम संख्या 1 से 26, 28, 31, 33 एवं 35 से 37 के पदों के लिए	लिखित परीक्षा एवं तदोपरांत दस्तावेज सत्यापन
क्रम संख्या 27 के पद के लिए	लिखित परीक्षा, अभिरुचि परीक्षण एवं तदोपरांत दस्तावेज सत्यापन
क्रम संख्या 29, 30 एवं 34 के पदों के लिए	लिखित परीक्षा, टंकण परीक्षा एवं तदोपरांत दस्तावेज सत्यापन
क्रम संख्या 32 के पद के लिए	लिखित परीक्षा, गति परीक्षण एवं तदोपरांत दस्तावेज सत्यापन

7. अन्य शर्तें :

(क) चयन हो जाने के बाद नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को रेल चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

(ख) जिन पदों पर नियुक्ति से पूर्व भर्ती प्रशिक्षण आवश्यक है, उनके लिए चयनित उम्मीदवारों को नियमानुसार लागू निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने होंगे ।

8. आवेदन करने की पात्रता :

कोटि संख्या	पदनाम	आवेदित पद हेतु विकलांगता की श्रेणी	कोटि संख्या	पदनाम	आवेदित पद हेतु विकलांगता की श्रेणी
1.	जूनियर इंजीनियर- II (कै. एवं वै.)	अस्थि विकलांग(एक हाथ, एक पैर)	20.	तकनीशियन- III (कारपेंटर) (इंजी./कै. एवं वै.)	श्रवण विकलांग (बधिर, आंशिक बधिर)
2.	जूनियर इंजीनियर- II (पी. वे)	अस्थि विकलांग(एक हाथ, एक पैर), श्रवण विकलांग	21.	तकनीशियन- III (राजमिस्त्री) (इंजी.)	अस्थि विकलांग (एक पैर), श्रवण विकलांग
3.	जूनियर इंजीनियर- II (कार्य)	अस्थि विकलांग(एक हाथ, एक पैर), श्रवण विकलांग	22.	तकनीशियन- III (टीआरएस)	अस्थि विकलांग (एक पैर)
4.	जूनियर इंजीनियर- II (यॉंत्रिक)	अस्थि विकलांग(एक हाथ, एक पैर)	23.	तकनीशियन- III (मशीनमेन)	श्रवण विकलांग
5.	जूनियर इंजीनियर- II (यॉंत्रिक) इंजन शाखा	अस्थि विकलांग(एक हाथ, एक पैर)	24.	तकनीशियन- III (डीजल)	श्रवण विकलांग
6.	जूनियर इंजीनियर- II (सिगनल एवं दूर संचार)	अस्थि विकलांग(एक पैर)	25.	तकनीशियन- III (सिगनल मँटेनर)	अस्थि विकलांग (एक पैर)
7.	जूनियर इंजीनियर (ड्राइंग)	श्रवण विकलांग	26.	यातायात प्रशिक्षु	अस्थि विकलांग(एक हाथ, एक पैर)
8.	तकनीशियन- III (कै. एवं वै.)	दृष्टि विकलांग (अल्प दृष्टि), श्रवण विकलांग	27.	प्रशिक्षु सहायक स्टेशन मास्टर	अस्थि विकलांग(एक पैर, मांसपेशीय दुर्बलता), श्रवण विकलांग
9.	तकनीशियन- III (टीसीएम)	अस्थि विकलांग (एक पैर)	28.	गुड्स गार्ड	अस्थि विकलांग(एक हाथ), श्रवण विकलांग
10.	तकनीशियन- III (डब्ल्यू/एम)(ओएसएम)	श्रवण विकलांग	29.	वरिष्ठ लिपिक सह टंकक	दृष्टि विकलांग (दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि), अस्थि विकलांग(एक हाथ,

					एक पैर, एक हाथ एक पैर, दोनों पैर) श्रवण विकलांग
11.	तकनीशियन- III (इंजन/एम) आरएण्डएम(डी)	अस्थि विकलांग (एक पैर), दृष्टि विकलांग (अल्प दृष्टि), श्रवण विकलांग	30.	कनिष्ठ लेखा सहायक	श्रवण विकलांग (बधिर, आंशिक बधिर)
12.	तकनीशियन- III (टीएनसी/ई) आरएण्डएम(डी)	श्रवण विकलांग	31.	फार्मासिष्ट	अस्थि विकलांग (एक पैर, दोनों पैर)
13.	तकनीशियन- III (टीआरएस)	अस्थि विकलांग (एक पैर), दृष्टि विकलांग (अल्प दृष्टि), श्रवण विकलांग	32.	आशुलिपिक	अस्थि विकलांग(एक हाथ, एक पैर, एक हाथ एक पैर, दोनों पैर) श्रवण विकलांग
14.	तकनीशियन- III (इंजीनियरिंग)	अस्थि विकलांग (एक पैर), श्रवण विकलांग	33.	वाणिज्य लिपिक	अस्थि विकलांग(एक हाथ, एक पैर, दोनों पैर) श्रवण विकलांग
15.	तकनीशियन- III (फिटर)	अस्थि विकलांग (एक पैर), दृष्टि विकलांग (अल्प दृष्टि)	34.	अवर लिपिक सह टंकक	अस्थि विकलांग(एक हाथ, एक पैर, दोनों पैर), दृष्टि विकलांग (आंशिक दृष्टिहीन), श्रवण विकलांग (बधिर, आंशिक बधिर)
16.	तकनीशियन- III (वैल्डर)	अस्थि विकलांग (एक पैर), श्रवण विकलांग	35.	टिकट संग्राहक	अस्थि विकलांग(एक हाथ, एक पैर, मांसपेशीय दुर्बलता), श्रवण विकलांग, दृष्टि विकलांग (अल्प दृष्टि)
17.	तकनीशियन- III	दृष्टि विकलांग (अल्प	36.	कनिष्ठ टेलीफोन	दृष्टि विकलांग

	(पेन्टर)	दृष्टि), श्रवण विकलांग(बधिर, आंशिक बधिर)		ऑपरेटर	(अल्प दृष्टि)
18.	तकनीशियन- III (कोच रिपेयर)	अस्थि विकलांग (एक पैर)	37.	ड्रेसर	श्रवण विकलांग (बधिर, आंशिक बधिर)
19.	तकनीशियन- III (इलेक्ट्रिकल)	दृष्टि विकलांग (अल्प दृष्टि)			

9. आवेदन हेतु दिशा निर्देश :

(1) निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले इच्छुक पात्र उम्मीदवार संलग्न प्रारूप में अपना आवेदन जमा करें।

(2) उम्मीदवार निम्नानुसार आवेदन करें। तथापि आवेदन-पत्र में दिए गए कॉलम में पदों की प्राथमिकता वरीयता क्रम में दर्शाए।

(क) जिन पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन या समकक्ष है, उनके लिए केवल एक आवेदन करें। (वाणिज्य लिपिक, आशुलिपिक, अवर लिपिक सह टंकक, कनिष्ठ टेलीफोन ऑपरेटर, टिकट संग्राहक एवं ड्रेसर)।

(ख) जिन पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक है, उनके लिए केवल एक आवेदन करें। (कनिष्ठ लेखा सहायक, प्रशिक्षु सहायक स्टेशन मास्टर, यातायात प्रशिक्षु, वरिष्ठ लिपिक सह टंकक एवं गुडस गार्ड)

(ग) जिन पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, उनके लिए केवल एक आवेदन करें – जूनियर इंजीनियर- I।(कै. एवं वै.), जूनियर इंजीनियर- II।

(पी. वे), जूनियर इंजीनियर- II। (कार्य), जूनियर इंजीनियर- II। (यॉत्रिक), जूनियर इंजीनियर- II। (यॉत्रिक) इंजन शाखा, जूनियर इंजीनियर- II। (सिगनल एवं दूर संचार), जूनियर इंजीनियर(ड्राइंग)।

(घ) जिन पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन के साथ-साथ संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किया हो / आईटीआई है, उनके लिए केवल एक आवेदन करें- (तकनीशियन- III। अर्थात् कार्पेन्टर, फिटर, वैल्डर, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि)।

(3) आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के बिना भेजा गया आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(4) सामान्य शारीरिक क्षमता वाले उम्मीदवारों के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(5) आवेदन पत्र साधारण डाक से उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (राजपत्रित), कार्मिक विभाग, महाप्रबंधक कार्यालय, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर-482001 को भेजें ताकि 14.08.2012 (18:00 बजे) तक या उससे पहले पहुँच जाये। आवेदन अंतिम तिथि 14.08.2012 तक उक्त

कार्यालय परिसर में रखे बॉक्स में भी डाले जा सकते हैं । अंडमान, निकोबार एवं लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिये साधारण डाक से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 21.08.2012 (18:00 बजे) तक है, बशर्ते कि उस तिथि को रविवार और कार्यालयीन अवकाश न हो ।

- (6) अनुचित साधनों/प्रभाव/दबाव का प्रयोग करने के दोषी पाए जानेवाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएगी ।
 - (7) उम्मीदवार आवेदन-पत्र में दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करें । फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित किया हुआ होना चाहिए । दो अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो भी संलग्न करें । संलग्न किए गए फोटो के पीछे अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें ।
 - (8) अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिये जायेंगे तथा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।
 - (9) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ होना चाहिये ।
 - (10) पात्र उम्मीदवारों को स्वयं के खर्च पर लिखित परीक्षा, गति/टंकण परीक्षा में उपस्थित होना होगा । अनु.जाति/अनु.जनजाति के उम्मीदवारों को नियमानुसार मुफ्त पास जारी किया जाएगा ।
 - (11) केंद्र/राज्य सरकार की सेवा में सेवारत कर्मचारी अपना आवेदन “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” के साथ भेजें । अनापत्ति प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष की ओर से जारी किया हुआ होना चाहिए । अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना भेजे गये आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे ।
 - (12) स्वयं का पता लिखा 26 x 12 सेमी आकार वाले दो लिफाफे संलग्न करें । एक लिफाफे पर रुपये 5/- का डाक टिकट चस्पा करें ।
 - (13) विज्ञापन में घोषित लिखित परीक्षा की तिथि अपरिहार्य कारणों से परिवर्तित की जा सकती है ।
 - (14) आवेदन स्वीकार/अस्वीकार करने के संबंध में विशेष भर्ती अभियान-विकलांग प्रकोष्ठ का निर्णय अंतिम होगा । इस संबंध में किसी अग्रिम पत्राचार और/या पूछताछ का जवाब नहीं दिया जाएगा ।
10. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें:-
- (1) जन्मतिथि प्रमाण-पत्र की प्रमाणित फोटोकॉपी (माध्यमिक/मैट्रिक प्रमाण-पत्र जिस पर जन्मतिथि दर्ज हो)
 - (2) यथा अपेक्षित शैक्षणिक और/या तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित फोटो कॉपी ।
 - (3) अनुलग्नक 'घ'-दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों/मस्तिष्क लकवा से ग्रस्त होने के कारण लेखन गति में अक्षम उम्मीदवारों के द्वारा स्काइब(लिपिक) हेतु अनुरोध करने के मामले में ।
 - (4) अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित फोटोकॉपी ।

- (5) अनुलग्नक—'ग' के अनुसार शारीरिक विकलांगता प्रमाण—पत्र की प्रमाणित फोटोकॉपी ।
- (6) नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण—पत्र, यदि लागू हो ।
- (7) स्वयं का पता लिखा हुआ 2 लिफाफे जिनमें से एक पर रुपये 5/- का डाक टिकट लगा हो ।
- (8) दो नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो जिनके पीछे नाम व पता लिखा हो ।
- (9) श्रवण विकलांग उम्मीदवारों द्वारा पंजीकृत चिकित्सा संस्था के प्राधिकारी द्वारा जारी आडियोग्राम प्रमाण—पत्र ।

11. सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया के दौरान खानपान एवं ठहरने की व्यवस्था उम्मीदवार को स्वयं करनी होगी ।
12. पात्रता, स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में पश्चिम मध्य रेल का निर्णय अंतिम होगा और उसे मानना उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी पूछताछ या पत्राचार का जवाब नहीं दिया जाएगा । लिखित परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए न जाने अथवा भर्ती होने में असफल उम्मीदवारों को सूचित करने के लिए पश्चिम मध्य रेल की जिम्मेदारी नहीं होगी ।
13. किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, जबलपुर होगा ।

14. अस्वीकृत किए जाने वाले आवेदन पत्र :

- (1) अपूर्ण, अपठनीय या काट-छांट की लिखावट में भरा हुआ आवेदन—पत्र
- (2) बिना हस्ताक्षर किया हुआ और अंगूठा निशान न लगा हुआ आवेदन—पत्र
- (3) बिना फोटो के आवेदन—पत्र (राजपत्रित अधिकारी का विधिवत प्रमाणित)
- (4) बिना लिफाफे और आवश्यक फोटो संलग्न किए भेजा गया आवेदन—पत्र
- (5) प्रमाणपत्रों के प्रमाणित फोटो कॉपी न होने पर
- (6) विज्ञापन जारी होने की तिथि से पूर्व और अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्र

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी(राजपत्रित)

पश्चिम मध्य रेल, मुख्यालय, जबलपुर

आवेदन प्रपत्र

अनुक्रमांक : _____
(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

सेवा में,

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (राजपत्रित)
महाप्रबंधक कार्यालय,
पश्चिम मध्य रेल,
जबलपुर - 482001

राजपत्रित अधिकारी
द्वारा हस्ताक्षरित एवं
प्रमाणित अपना नवीनतम
पासपोर्ट साईज रंगीन
फोटो चस्पा करें

1) कोटि संख्या एवं पद हेतु आवेदन :

एक से अधिक पदों के लिए निर्धारित एक आवेदन करने के मामले में उम्मीदवार अपनी वरीयता क्रम का निम्नलिखित विकल्प भरें। (उम्मीदवार द्वारा नीचे दर्शाए गए पदों पर ही विचार किया जाएगा)। (कृपया अधिसूचना की मद संख्या 9(ii) तथा कोटि संख्या के लिए मद संख्या 2 देखें)।

विकल्प	कोटि सं.	पद	विकल्प	कोटि सं.	पद
1			4		
2			5		
3			6		

2. विकलांगता का प्रकार :

कोटि	अस्थि विकलांग	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग
कोटि कोड	01	02	03

बॉक्स में अपनी विकलांगता कोटि लिखें

विषय : शारीरिक विकलांग कोटे के अंतर्गत भर्ती

1) पूरा नाम (अंग्रेजी / हिन्दी के बड़े अक्षरों में) :

2) पिता/पति का नाम :

3) जन्म तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

(अंकों में) :दिन.....माह.....वर्ष

(शब्दों में) :

4) 01.07.2012 को आयु : वर्षमाह..... दिन

5) वर्तमान पता :

डाकघर..... जिला.....

राज्य..... पिनकोड.....

6) स्थाई पता :

 डाकघर..... जिला.....
 राज्य..... पिनकोड.....
 निकटतम रेलवे स्टेशन.....
 फोन नंबर.....(मोबाईल)..... लैंडलाइन

7) राष्ट्रीयता :

8) धर्म :

9) लिंग (पुरुष/महिला) :.....

10) क्या अनु.जाति/अनु.जनजाति/अपिव के हैं ?.....

(यदि हों, तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

11) विकलांगता की प्रकृति एवं प्रतिशतता

(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

12) शैक्षणिक योग्यता : शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता का विवरण:

(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र.सं.	शैक्षणिक योग्यता	स्कूल/बोर्ड/ विश्वविद्यालय/संस्था	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांकों का प्रतिशत	विषय

13) पहचान के चिह्न : (1)

(2)

14) यदि सेवारत कर्मचारी हो, तो (1) पदनाम.....

दर्शाएं(प्रमाण पत्र संलग्न करें) (2) विभाग.....

(3) सेवा की अवधि.....

15) संलग्न दस्तावेजों का विवरण (प्रमाणित जेरोक्स कॉपी)

(विज्ञापन की मद संख्या 10 देखें ।)

(1) (2).....

(3) (4).....

(5) (6).....

(7) (8).....

(9)..... (10).....

“ मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापन में दी गई पात्रता शर्तों को पढ़ा है और उनका अनुपालन करने की जिम्मेदारी लेता/लेती हूँ । आवेदन में दिए गए सभी विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं । मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि यदि भर्ती प्रक्रिया के दौरान मेरा कोई विवरण भ्रामक एवं असत्य पाया गया, तो परीक्षा और संपूर्ण चयन हेतु मेरी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी । मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि मेरी नियुक्ति के बाद भी यदि मेरा कोई विवरण गलत/विसंगत पाया गया, तो मुझे बिना कोई सूचना दिए रेल सेवा से हटा दिया जाएगा । ”

स्थान :

.....
 उम्मीदवार का हस्ताक्षर

दिनांक :

.....
 उम्मीदवार के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

अनु.जाति/अन.ज.जाति हेतु जाति प्रमाण पत्र के लिए फार्मेट

किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से संबंधित होने के बारे में दावा करने वाले अभ्यर्थी को नीचे दिए गए प्रपत्रों में उस जिले, जहाँ उसके माता-पिता(जीवित माता-पिता) सामान्यतः निवास करते हैं, के जिला मैजिस्ट्रेट या अवर मंडलाधिकारी द्वारा जारी अपने दावे के पक्ष में प्रमाण-पत्र या नीचे निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम नामित किया गया हो, द्वारा जारी अपने दावे के पक्ष में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। यदि माता-पिता दोनों जीवित नहीं हो तो प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिला का होना चाहिए जहाँ अभ्यर्थी अन्यथा अपनी शिक्षा के प्रयोजन में रहता हो। जहाँ कहीं फोटोग्राफ प्रमाण-पत्र का अभिन्न अंग है, पश्चिम मध्य रेलवे ऐसे प्रमाण-पत्रों की केवल स्व-साक्ष्यांकित फोटो कॉपियाँ ही स्वीकार करेगी और कोई अन्य साक्ष्यांकित या सही प्रतिलिपि नहीं।

(भारत सरकार के अधीन पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* पुत्र /पुत्री* श्री
गांव/कस्बे* जिले/डिविजन* राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की निवासी है तथा
जाति/जनजाति से *से संबंधित है जो निम्नलिखित के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति *
के रूप में मान्यता प्राप्त है :

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 * संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950*

संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ शासित राज्य) आदेश 1951 *

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) (संघ शासित राज्य) 1951 *

(अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां सूची (संशोधन) आदेश ,1956,बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम,1960 ,
पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियमए1970 और पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुर्नगठन) अधिनियम
1971 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम,1976 द्वारा संशोधित
अनुसार)

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956@,

संविधान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जातियां आदेश, 1959@.

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976@ द्वारा संशोधित अनुसार.

संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962

संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1962@.

संविधान (पांडेचरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964@

संविधान (अनुसूचित जन जातियां आदेश),(उत्तर प्रदेश) आदेश 1967@.

संविधान (गोवा, दमन और दीप) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968@.

संविधान (गोवा, दमन और दीप) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1968@.

संविधान (नगालैण्ड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978@.

श्री /श्रीमती/कुमारी* और/या/उसका * परिवार, गांव/कस्बे *

जिला/मंडल राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में रहते हैं ।

हस्ताक्षर

**पद

(कार्यालय की मुहर के साथ

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश**)

स्थान:

दिनांक :

* कृपया जो शब्द लागू नहीं हैं उन्हें मिटाएं ।

@ कृपया राष्ट्रपति आदेश का विशिष्ट उल्लेख करें ।

नोट : i) यहां इस्तेमाल शब्द " साधारण रूप से रहता है/रहते हैं " का वही अर्थ है जो जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है ।

ii) तमिलनाडू राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केवल राजस्व मंडल अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना चाहिये ।

** जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी :

* जिला मजिस्ट्रेट /अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट /कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/अपर उप कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टायपेंडरी मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/उप मंडलीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट /कार्यकारी मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा एसिसटेन्ट कमिश्नर (जो प्रथम श्रेणी स्टायपेंडरी मजिस्ट्रेट से पद में कम न हो)/मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से कम न हो/क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और /उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं/रहता है ।

अ.पि.व. प्रमाण—पत्र

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 पुत्र/पुत्री
ग्राम जिला/मंडल प्रदेश के निवासी हैं
.....समुदाय से संबंधित हैं जिसे पिछड़ी जाति के रूप में निम्नलिखित अनुसार मान्यता प्राप्त है.

1. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 186 दिनांक 13 सितंबर, 1993 को प्रकाशित संकल्प सं0 12011/68/93-बीसीसी (सी), दिनांक 10 सितंबर, 1983.
2. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं0 163 दिनांक 20 अक्टूबर 1994 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/9/94-बीसीसी, दिनांक 19 अक्टूबर, 1994.
3. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं0 88 दिनांक 25 मई, 1995 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/7/95-बीसीसी, दिनांक 24 मई, 1995.
4. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं0 210 दिनांक 11 दिसंबर, 1996 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/44/96-बीसीसी, दिनांक 6 दिसम्बर,, 1996.
5. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं0 129 दिनांक 8 जुलाई, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/68/93-बीसीसी.
6. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं0 164 दिनांक 01 सितम्बर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/12/96-बीसीसी
7. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं0 236 दिनांक 11 दिसंबर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/99/94-बीसीसी.
8. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं0 239 दिनांक 03 दिसंबर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/13/97-बीसीसी.
9. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं0 166 दिनांक 03 अगस्त, 1998 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/12/96-बीसीसी.
10. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं0 171 दिनांक 06 अगस्त, 1998 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/68/93-बीसीसी.
11. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं0 241 दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/68/98-बीसीसी.
12. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं0 270 दिनांक 06 दिसंबर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/88/98-बीसीसी.
13. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं0 71 दिनांक 04 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/36/99-बीसीसी.

श्री/श्रीमती/कु. और उसका परिवार साधारणतः राज्य के
.....जिले का निवासी है. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8/9/1993 के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी) की अनुसूचित के कॉलम 3 में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं है.

दिनांक.....

मुहर जिलाधीश/उपायुक्त आदि

सील

टिप्पणी : (क) यहाँ प्रयुक्त " साधारणतः निवासी" का अर्थ वही है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 30 में वर्णित है । (ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारों का उल्लेख नीचे किया गया है:—(i)जिला मजिस्ट्रेट/एडिशनल मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडिशनल डिप्टी कमिश्नर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/एकस्ट्रा असिसटेन्ट कमिश्नर (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे नहीं) (ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) राजस्व अधिकारी (तहसीलदार के रैंक से नीचे नहीं) और (iv) क्षेत्र का उप-मंडलीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और उसका परिवार रहता है ।

विकलांग व्यक्तियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र
संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं.

दिनांक.....

विकलांग प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/श्री/कुमारी.....पुत्र/पुत्री
श्री.....आयु..... लिंग पुरुष/महिला का पहचान चिन्ह
..... है और वह निम्नलिखित श्रेणी का स्थाई विकलांगता से
पीड़ित है ।

क. लोकोमोटर या सेरब्रल पल्सी :

- I. बीएल— दोनों टांग प्रभावित लेकिन बाजू नहीं
- II. बीए—दोनों बाजू प्रभावित (क) इम्पेयर्ड रीच
(ख) पकड़ बनाने में कमजोरी
- III. ओएल—एक टांग प्रभावित (दाई या बाई) (क) इम्पेयर्ड रीच
(ख) पकड़ बनाने में कमजोरी
(ग) एटाक्सिक

कृपया यहां विकलांगता
दर्शाने वाला अपने
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफ चिपकाएं
(फोटोग्राफ चिकित्सा
बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा
सत्यापित होना चाहिए)

फोटोग्राफ के नीचे दिए गए
कॉलम में उम्मीदवार के हस्ताक्षर

- IV. ओए—एक बाजू प्रभावित (दाई या बाई) (क) इम्पेयर्ड रीच
(ख) पकड़ बनाने में कमजोरी
(ग) एटाक्सिक

V. बीएच—पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ या झुक नहीं सकते)

VI. एमडब्ल्यू—मांसपेशीय कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति

ख. अंधता या कम दृष्टि :

- I. बी—अंधता II. पीबी—आंशिक अंधता

ग. श्रव्य हानि :

- I. डी—बधिर II. पीडी—आंशिक बधिर
(जो लागू नहीं है वह श्रेणी मिटाएं)

2. यह दशा प्रगतिशील/अप्रगतिशील/सुधरने की संभावना/सुधरने की संभावना नहीं है । इस
मामले के पुनः आकलन की वर्ष महीने की अवधि के बाद सिफारिश
नहीं की जाती है/की जाती है ।

3. उसके मामले में विकलांगता का प्रतिशत है ।
4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपना कार्य करने के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाएं पूरी करता/करती है ।

- | | |
|--|----------|
| I. एफ—उंगलियों की जोड़—तोड़ से कार्य कर सकता/सकती है । | हाँ/नहीं |
| II. पीपी—खींचने और धकेलने के जरिए काम कर सकता/सकती है । | हाँ/नहीं |
| III. एल—उठाकर काम कर सकता/सकती है । | हाँ/नहीं |
| IV. केसी—घुटनों पर बैठकर और घुटने मोड़कर काम कर सकता/सकती है । | हाँ/नहीं |
| V. बी—झुककर काम कर सकता/सकती है । | हाँ/नहीं |
| VI. एस—बैठकर काम कर सकता/सकती है । | हाँ/नहीं |
| VII. एसटी—खड़े होकर काम कर सकता/सकती है । | हाँ/नहीं |
| VIII. डब्ल्यू—चलकर काम कर सकता/सकती है । | हाँ/नहीं |
| IX. एसई—देखकर काम कर सकता/सकती है । | हाँ/नहीं |
| X. एच—सुनकर/बोलकर काम कर सकता/सकती है । | हाँ/नहीं |
| XI. आरडब्ल्यू—पढ़कर और लिखकर काम कर सकता/सकती है । | हाँ/नहीं |

(डॉक्टर के हस्ताक्षर)

(डॉक्टर के हस्ताक्षर)

(डॉक्टर के हस्ताक्षर)

नाम

नाम

नाम

पंजीकरण सं.

पंजीकरण सं.

पंजीकरण सं.

सदस्य, चिकित्सा बोर्ड

सदस्य, चिकित्सा बोर्ड

सदस्य, चिकित्सा बोर्ड

* कृपया जो लागू नहीं है उन शब्दों को काट दें ।

स्थान :

दिनांक :

चिकित्सा अधीक्षक/सीएमओ/अस्पताल प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर (मुहर के साथ)

नोट: (i) विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1975 (1966 का 1) की धारा 73 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा 31.12.1996 को अधिसूचित विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996 के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र देने के लिए प्राधिकार केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत् गठित चिकित्सा बोर्ड को होगा । राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों का चिकित्सा बोर्ड गठित कर सकती है जिसमें कम से कम एक डॉक्टर मंदबुद्धि और कुष्ठ रोग का इलाज किया हो

(ii) जिसकी विकलांगता अस्थायी है उसका प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिये वैध रहेगा. जो स्थायी विकलांग है उनके प्रमाण पत्र में वैधता अवधि में स्थायी दर्शाया जा सकता है ।

अनुलग्नक-घ

दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों ऐसे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति मस्तिष्क पक्षाघात से प्रभावित हुई हो द्वारा जमा की जाने वाली घोषणा.

उम्मीदवार द्वारा रखे जाने वाले प्रस्तावित स्क्राइब का विवरण

1. उम्मीदवार का नाम:
2. उम्मीदवार की जन्म तिथि:.....
3. स्क्राइब का नाम:
4. स्क्राइब के पिता का नाम:
5. स्क्राइब का पता:
क) स्थायी पता :
- ख) वर्तमान पता:

कंट्रोल सं. (कार्यालय उपयोग हेतु)
स्क्राइब के 3.5 से.मी. x 3.5 से. मी. आकार का पासपोर्ट आकार का हाल का रंगीन फोटो चिपकाएं (रंगीन फोटो 3 माह से अधिक पुराना नहीं हो)

6. स्क्राइब की शैक्षिक अर्हता :

उपरोक्त बॉक्स में फोटो के नीचे
स्क्राइब का हस्ताक्षर

7. स्क्राइब का उम्मीदवार से कोई संबंध :

8. **घोषणा** : मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं, मैंने इस परीक्षा में दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों के स्क्राइब के संचालन से संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड के सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और एतद्वारा उनसे सहमत होने का वचन देता हूँ. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि :

(क) स्क्राइब की शैक्षिक अर्हता आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हताओं से कम है

(ख) स्क्राइब की शैक्षिक विषय उम्मीदवार के समान है, चूंकि आवेदन सामान्य पदों के लिए है,*

(ग) स्क्राइब का शैक्षिक विषय उम्मीदवार से भिन्न है क्योंकि आवेदन विशिष्ट पद के लिए है.*

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(स्क्राइब के हस्ताक्षर)

उपरोक्त बॉक्स में उम्मीदवार के बाएं
अंगूठे का निशान

उपरोक्त बॉक्स में स्क्राइब के
बाएं अंगूठे का निशान